महाकुम्भ नगर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी 'महासौगात', यूपी बनेगा एयरोस्पेस का महारथी, कई विकास योजनाओं को मंजूरी

रक्षा क्षेत्र में निवेशकों को 35% तक सब्सिडी

कैबिनेट फैसले

महाकुम्भ नगर, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में अब 50 हजार करोड़ के नए निवेश लाने व एक लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रयागराज में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई 'उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति' को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत पश्चिमी व मध्य यूपी में निवेश करने पर 25 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में निवेश करने पर 35 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।

महिला उद्यमियों को दो फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी: यूपी में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को सशक्त करने के मकसद से लाई गई इस नीति में स्वदेशी क्षमताओं के उपयोग, नवाचार व अनुसंधान पर भी खासा जोर दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत, विश्वस्तरीय, उच्च प्रौद्योगिकी युक्त मैन्युफैक्चरिंग वातावरण बनाना है। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे में स्टार्टअप और एमएसएमई के कौशल और क्षमता विकास के लिए ए एंड डी आधारित सामान्य सुविधा केंद्र बनाने पर भी जोर दिया गया है। महिला उद्यमियों को सभी सब्सिडी में दो प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।

महाकुम्भ नगर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर फैसलों की जानकारी दी।

- उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति को मिली मंजूरी
- बुंदेलखंड व पूर्वांचल में निवेश पर 35 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी

01 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

25 % की पूंजी पश्चिमी व मध्य यूपी में सब्सिडी

एयरोस्पेस, रक्षा उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य

असल में रक्षा मत्रालय द्वारा देश में 2025-26 तक एयरोस्पेस तथा रक्षा उत्पादन को दोगुना करके 25 बिलियन यूएस डॉलर और निर्यात को 5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसा आकलन है कि 2047 तक एयरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 25 प्रतिशत का योगदान होगा। इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय की ओर से देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किये गये हैं।

निवेशकों को कई तरह की राहत व छूट

इस नीति के अंतर्गत ए एंड डी सेक्टर की यूनिट्स को फ्रंट एण्ड सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसके तहत जमीन के सकल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। पात्र इकाइयों को जमीन खरीदने / लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। भूमि पार्सल के लिए पट्टा किराया 10 साल की अवधि के लिए भूमि लागत का एक प्रतिशत तथा 10 साल से अधिक अवधि के लिए 1.5 प्रतिशत होगा।

परिवहन लागत में 50% छूट मिलेगी

40 प्रतिशत आयातित सेकेंड हैंड मशीनरी कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र होगी। संयंत्र और मशीनरी के परिवहन लागत का 50 प्रतिशत परिवहन सब्सिडी के लिए पात्र होंगी, जो लाजिस्टिक पार्कों परिवहन केंद्रों और बंदरगाह से राज्य में उत्पादन स्थान तक होगी। यह राशि अधिकतम पांच करोड़ रुपये तक होगी। तैयार उत्पाद के परिवहन के लिए परिवहन लागत में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम एक करोड़ मिलेगी।